MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

vc@mggaugkp.ac.in www.mggaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref. 417 स0/AUBA057/MGGAU/2022 2023 Date: 15/08/22

—: सम्बद्धता आदेश :—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या 420/79 वि 1 20 1(क) 8--2020 लखनऊ दिनांक 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या 76/79 वि0 1 21 2(क) 1-2021 दिनांक 09.01.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम 2021 के अध्याय 2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा 28 के क्रम में श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पीटल, सरसौल, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ कालेज कोड-AUBA057 द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन पर गठित निरीक्षण समिति की आख्या दिनांक--04.07.2022 के आधार पर कार्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सत्र 2021-2022 हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई0डब्लू0एस0 सहित)
1	बी0 ए0 एम0 एस0	100 सीट
2	एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) संस्कृत संहिता एवं सिद्धान्त – 06 सीट अगद तंत्र – 06 सीट शालाक्य तंत्र – 03 सीट रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना – 06 सीट रचना शारीर – 06 सीट स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र – 06 सीट शल्य तंत्र – 06 सीट	39 सीट

सम्बद्धता की शर्तें—

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नही किया जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
5. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगें।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

17/8/22

(आर0 बी0 सिंह)

कुलसचिव

Scanned with CamScanner